भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1343
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों का व्यापार

†1343. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार तथा युवाओं पर इसके प्रभाव के मुद्दे से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं;
(ख) स्थानीय पुलिस तथा मादक पदार्थ विरोधी प्रयासों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कोई ऐसा निर्दिष्ट, गोपनीय मंच है, जहां नागरिक पहचान उजागर किए बिना मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट कर सकते हैं तथा सरकार की निवारण प्रक्रिया क्या है;
(घ) क्या मादक मदार्थों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी जनजागरुकता तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है; और
(ङ) क्या सरकार का मादक पदार्थों की अवैध तस्करी तथा व्यापार पर अपने-अपने जिला स्तर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एनसीबी के साथ समन्वय करने के लिए जनप्रतिनिधियों, विशेषकर सांसदों को शामिल करने की नीति का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के मुद्दे से निपटने और स्थानीय पुलिस तथा मादक पदार्थ विरोधी प्रयासों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित

किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकॉर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

(ii) महत्वपूर्ण एवं बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(iii) विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एनएनटीएफ) गठित की गई है।

(iv) सरकार ने नार्को-आतंकवाद मामलों की जांच के लिए वर्ष 2020 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को शक्ति प्रदान की है।

(v) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(vi) तटीय क्षेत्रों और महासागरों में स्वापक मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(vii) समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह (समुद्री सुरक्षा समूह- एनएससीएस) बनाया गया है ।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1343, दिनांक 11.02.2025

(viii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के साथ मिलकर गिरफ्तार एनडीपीएस अपराधियों के बारे में राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (एनआईडीएएएन) नामक एक पोर्टल बनाया है।

(ix) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) निरंतर अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(ग): राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7, टोल-फ्री नंबर-1933 राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन-14446 के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसमें उमंग (यूएमएएनजी) के तहत टोल-फ्री नंबर, वेब-पोर्टल, ईमेल और मोबाइल ऐप के जरिए 24x7 कॉल जैसी सुविधाएँ हैं। मानस हेल्पलाइन पर नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। इसके अलावा बेहतर समन्वय के लिए राज्यों की एएनटीएफ को मानस के साथ एकीकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) : सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार करके इसे कार्यान्वित किया है, जिसके तहत सरकार संपूर्ण देश के युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या के समाधान के लिए एक निरंतर और समन्वित कार्रवाई कर रही है। इसमें निम्नलिखित कार्रवाई शामिल हैं:

(i) नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) को 272 चिन्हित सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया, जिसे बाद में देश के सभी जिलों में विस्तारित किया गया। अब तक एनएमबीए 4.90 करोड़ युवाओं और 2.93 करोड़ महिलाओं सहित 14.07 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1343, दिनांक 11.02.2025

(ii) सरकार द्वारा 350 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए), 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) केन्द्र, 74 आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्र (ओडीआईसी), 124 जिला नशा मुक्ति केन्द्र (डीडीएसी) और 125 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) को समर्थन दिया जाता है।

(iii) जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन- 14446 चलाई जा रही है।

(iv) एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारीज, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

(vi) दिनांक 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ आयोजित की गई और 2+ लाख संस्थानों के लगभग 3+ करोड़ लोगों ने राष्ट्रव्यापी शपथ में भाग लिया।

(vii) केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में समय-समय पर माननीय राज्यपालों/उपराज्यपालों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें संबंधित जिला स्तर पर अवैध नशीली दवाओं की तस्करी और व्यापार पर अंकुश लगाने के प्रभावी उपायों पर चर्चा की जाती है।

******